फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

अनुदान संख्या-43 (राजस्व)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग
1	2	3	4	5 2-4
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय **03-महॅगाई भत्ता** **3055 00 800 03 00** **3055-सडक परिवहन-00-800-अन्य व्यय-** **03-मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल** **29-अनुरक्षण**	3985.20 200.00	1232.00 100.00	545.00 100.00	3440.20 100.00
योग-	**4185.20**	**1332.00**	**645.00**	**3540.20**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान संख्या-43(राजस्व)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग
6	7	8	9	10	11 (7+10)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल					
06-अन्य भत्ते	25.00	40.00	15.00	10.00	35.00
08-कार्यालय व्यय	50.00	150.00	100.00	50.00	100.00
09-विद्युत देय	50.00	150.00	100.00	60.00	110.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	25.00	100.00	75.00	25.00	50.00
13-टेलीफोन पर व्यय	10.00	37.50	27.50	10.00	20.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.00	7.50	7.50	5.00	5.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	60.00	160.00	100.00	50.00	110.00
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	5.00	15.00	10.00	5.00	10.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25.00	52.00	27.00	10.00	35.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00	75.00	70.00	20.00	25.00
58-आउटसोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान	600.00	1400.00	800.00	400.00	1000.00
योग -	**855.00**	**2187.00**	**1332.00**	**645.00**	**1500.00**

(1) बचत का कारण निम्नानुसार है :-

क- कोविड-19 के संकट की स्थिति में वित्त (वेतन आयोग) आयोग-1 के शासनादेश दिनांक 24.04.2020 द्वारा कार्मिकों को दिनांक 01.01.2020 01.07.2020 तथा 01.01.2021 से देय महॅगाई भत्ता की अतिरिक्त दरों को फ्रीज (17 प्रतिशत) रखते हुए शासनादेश दिनांक 24.08.2021 द्वारा मॅहगाईभत्ते की बढ़ी हुयी दर (28 प्रतिशत) का भुगतान दिनांक 01.07.2021 से किये जाने के कारण।

ख- शासकीय भवनों में स्थापित किये गये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों से भवनों की मरम्मत/अनुरक्षण संबंधी प्रस्ताव विगत वर्षो की तुलना में अप्रत्याशित प्राप्त होने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-4215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मोटर दुर्घटना से संबंधित दावों/मामलों के निस्तारण के लिए शासनादेश संख्या-77/तीस-3-2019 दिनांक 09.01.2019 द्वारा 71 जनपदों (अमेठी अम्बेडकरनगर श्रवास्ती व शामली को छोड़कर) में कुल 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

इस योजना की विभिन्न मानक मदों पर व्यय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये इस कार्यालय के पत्र संख्या जी-204ए/2020-130ए/2020 दिनांक 05.11.2020 द्वारा कुल धनराशि रू० 5963.50 लाख का आय-व्ययक अनुमान शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया जिसके सापेक्ष रू० 3761.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। एम०ए०सी०टी० कार्यालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण वर्ष हेतु की जा रही विभिन्न मदों में बजट मांग के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में प्रावधानित धनराशि का अनुपातिक बजट आवंटन प्रति अधिकरण हेतु किया गया है। पीठासीन अधिकारियों के बजट मांग-पत्रों के निस्तरण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1875ए/2021-45ए/2021 दिनांक 31.07.2021 द्वारा कुल धनराशि रू० 4750.54 लाख का विभागीय अनुपूरक बजट प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिसमें मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम योजना हेतु रू० 1854.50 लाख के अनुपूरक बजट की मांग शासन से की गयी किन्तु किन्ही कारणोंवश अनुपूरक बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं हो सका।

पीठासीन अधिकारियों द्वारा अधिकरणों के विधवत संचालन हेतु आवश्यक मदों में की जा रही निरन्तर अतिरिक्त बजट मांग के दृष्टिगत उक्त अति आवश्यक मदों में कुल न्यूनतम धनराशि रू० 1332.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण।

(3) प्रामणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-201/ई-9-यू0ओ0-ई-9-3410/दस-2021, दिनॉक 22 दिसम्बर 2021

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

ह0/-

(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

संख्या-165/2021/4245/तीस-3-2021 दिनॉक 22 दिसम्बर 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।